

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	सहकारिता
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4936
उत्तर की तिथि	:	08.03.2022
विषय	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अरुण कुमार (नगरोटा)
संबंधित मंत्री	:	शहरी विकास मंत्री

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या शहरी विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :</p> <p>यह सत्य है कि सरकार महिला व युवक मण्डलों के पंजीकरण हेतु पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर केवल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारणों सहित बयौरा दें ?</p>	<p>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 4936 जोकि श्री अरुण कुमार (नगरोटा) द्वारा
“अनापत्ति प्रमाण पत्र” बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :-

जी नहीं। हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 में प्रावधान न होने के कारण महिला मण्डलों व युवक मण्डलों के पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।
